1·6 (VI)

FORM-1

(for linear projects)

Government of Uttarakhand
Office of the District Collector, Garhwal

No. 408/1/26-प्रशा०अधि० (सा०प्रशा०) Dated. 16-2-2015

To WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In complinance of the Ministry of Environment and Forests (MOEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Rocognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that **2.275** hectares of forest land proposed to be diverted in favour of **Rural Development Department** (name of user agency) for **Road construction** (purpose for diversion of forest land) in Pauri district falls within jurisdiction of **Seeladanda** village (s) in **Lansdowne** tehsils.

It is further certified that:

(a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **2.275** hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consulations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) sub- Division laevel Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure 1 to 4 annexure.

(b) the diversion of forest land for facilities managed by the Gvoernment as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;

(c) the proposal does not involve rcognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Eucl: As above.

16.2.15
Signature
(Full name and official seal of the District Collector)
(Chandra Shekher Bhatt)
District collector Garhwal

(57)

1.6 (VIII)

ANNEXURE........................

OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER
DISTRICT GARHWAL (PAURI)

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.

A meeting of the district level committee of **Pauri** district, constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of Mr/Mrs/Miss. Chandra Shakher Bhatt I.A.S deputy commissioner Garhwal on date 18-2-15 at time ...11:30...at **Pauri** in which application claiming rights in civil soyam area measuring **1.890** hect. And Van panchayat land area measuring **0.835** (0.385) hect. for the construction of **Mastkhal to Seeladanda Motor Road** forest land under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of **Lansdwone** sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place; Garhwal (Pauri)
Dated:..18-2-15

16.2-15

(CHANDRA SHEKHER BHATT)
Deputy Commissioner-cum-Chairman
District Level Committee
Pauri Garhwal

जिलाधिकारी
गढ़वाल

It is Further Certified that Minutes of Meeting of construction of Mastkhal to seeladanda Motor Road (5.450 KM) regarding FRA is as following :-

Ser. No.		Remark
(a)	The Complete process for identification and settlement of rights under the FRA had been Carried out for the entire 2.275 hectares of forest area proposed for Diversion. A copy of record of all Consultations and meeting of the forest Right Committee(s), Sub Division Level Committee(s) are enclosed as annexure.	Yes Copy of record attached as there are no habitants belonging to scheduled tribes and other traditional Forest Dwellers.
(b)	The Diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA have been Completed and the Gram Sabhas have been given consent to it.	Yes Copy of records attached as there are no habitants belonging to Scheduled tribes and other traditional Forest Dwellers. No Objection Certificate concerned villages regarding construction of aforesaid construction of motor road is attached.
(c)	The Proposal does not involve recognized rights of primitive Tribal groups and pre-agricultural Communities.	Yes Copy of records attached as there are no habitants belonging to scheduled tribes and other traditional Forest Dwellers.

जिला पंचायत सदस्य
जिला पंचायत
पूनकी भ्यौसू (द्वारीखाल)
जिला पौड़ी गढ़वाल

जिला समाज कल्याण अधिकारी
पौड़ी

प्रभागीय वनाधिकारी
भूमि संरक्षण वन प्रभाग
लैन्सडौन

अधिशासी अभियन्ता
सि0ख0 पी0एम0जी0एस0वाई0
कोटद्वार

16-2-15
(चन्द्रशेखर भट्ट)
जिलाधिकारी
पौड़ी गढ़वाल

FRA 1.6 (I) प्रपत्र - 30.3

~~प्रपत्र - 28~~

परियोजना का नामः- प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत जनपद- पौड़ी (गढ़वाल) में मस्ट बाल से शीला डांडा मोटर मार्ग किमी. 0.00 से 5.750 तक का निर्माण कार्य

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण- पत्र

ग्राम पंचायत का नाम...... शीला डांडा

तहसील...... लैंसडाउन...... जिला...... पौड़ी (गढ़वाल)

अनापत्ति प्रमाण पत्र

जिला... पौड़ी (गढ़वाल) उत्तराखण्ड में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत जनपद-पौड़ी में मस्ट बाल से शीला डांडा मोटर मार्ग किमी. 0.00 से 5.750 के परियोजना के निर्माण हेतु (...... शून्य ......हे0 आरक्षित वन भूमि 1.890 हे0 सिविल सोयम भूमि...—...हे0 वन पंचायत भूमि 0.385 ...... हे0) अर्थात कुल 2.275 हे0 वन भूमि का ग्राम्य विकास ....विभाग/ संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एंव वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत...... शीला डांडा ...... द्वारा दिनांक 23/11/2014 ....को सम्पन्न ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वनभूमि के संम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वनभूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/ कृषि कार्य है अथवा नही। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वनभूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/ कृषि कार्य नही किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वनभूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नही हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/ प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम........ शीला डांडा ....के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि ...... 2.275 हेक्टर प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नही है।

प्रमाणित किया जो सत्य एंव सही है।

ग्राम सचिव
शीला डांडा

श्रीमती किशोरी देवी
क्षेत्र ... नगर पाली
... पौडी गढ़वाल
विकास खण्ड ...
उत्तराखण्ड

प्रधान ग्राम सभा सीला डांडा
ह० कल्पना देवी
दि० 23/11/2014
ग्राम प्रधान
कोटवाल पट्टी लंगूर वल्ला-I

नोटः- यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।

उक्त प्रपत्र प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा प्राप्त कर प्रस्ताव के साथ संलग्न किया जाना है।

23/11/14 (कान्ताप्रसाद)

KANTA PRASAD
REVENUE SUB INS
... TEHSIL ...

1.6 (II) 30.3

उपजिलाधिकारी / अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील........................
जनपद........

प्रतिलिपिः– जिलाधिकारी गढवाल को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उपजिलाधिकारी / अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील........................
जनपद........................

प्रपत्र - 30.4

~~प्रपत्र — 23.2~~

परियोजना का नामः— प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत जनपद पौड़ी (गढ़वाल) में मस्टखाल से थीला उडा मोटर मार्ग कि0मी0 0.00 से 5.750 कि0मी0 तक का निर्माण कार्य

कार्यालय उप जिलाधिकारी, लैंसडौन

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत

प्रमाण— पत्र

सहायक अभियंता VI
पी०एम०जी०एस०वाई०सि०ख०
कोटद्वार (गढ़वाल)

उपखण्ड स्तरीय समिति, लैंसडौन

उपखण्ड लैंसडौन परिक्षेत्र के अन्तर्गत प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत मस्टखाल से थीला उडा मोटर मार्ग (शून्य हे0 आरक्षित वनभूमि, 1.890 हे0 सिविल एंव सोयम —— वनभूमि 0.385 हे0 वन पंचायत भूमि अर्थात कुल 2.275 हे0 वनभूमि) का ग्राम्य विकास विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील लैंसडौन) की दिनांक 23-11-2014 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरणः—

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एंव नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री........., उप जिलाधिकारी एंव अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1— श्री सोहन सिंह सैनी उपजिलाधिकारी .... अध्यक्ष
2— श्री धीरज धार बडुवाल उप प्रभागीय वनाधिकारी .... सदस्य
3— श्री .... सहायक समाज कल्याण अधिकारी .... सदस्य / सचिव
4— श्री [illegible] बी0डी0सी0 क्षेत्र .... सदस्य

(मोहर: श्रीमती विजय लक्ष्मी, क्षेत्र पंचायत सदस्य ... ; सहायक समाज कल्याण अधिकारी विकास खण्ड—द्वारीखाल पौड़ी गढ़वाल उत्तराखण्ड)

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुये उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत जनपद — पौड़ी (गढ़वाल) में मस्टखाल से थीला उडा मोटर मार्ग कि0मी0 0.00 से 5.750 कि0मी0 परियोजना हेतु 2.275 हे0वन भूमि ग्राम्य विकास विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नही है। उक्त भूमि का सम्बन्धित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

सम्बन्धित उप प्रभागीय वनाधिकारी भूमि संरक्षण वन प्रभाग लैंसडौन द्वारा अनुसूचित जनजाति एंव अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एंव तत्सम्बन्धी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुये जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/ आवेदन पत्र प्रस्तुत नही किया गया है। इस सम्बन्ध में ग्राम सभा/ पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड लैंसडौन परिक्षेत्र के मस्टखाल से थीला उडा मोटर मार्ग परियोजना के निर्माण हेतु 2.275 हे0 वन भूमि पी0एम0जी0एस0वाई0 कोटद्वार प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

23/11/14 (कानूनगो)

KANTA PRASAD
REVENUE SUB INS
PATTI ... TEHSIL ...

16(15)

प्रपत्र 30.5

~~प्रपत्र — 23.1~~

दिनांक 23-11-2014 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत ...... सीला डांडा

कमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्राम वासियों के नाम	हस्ताक्षर
1.	श्री धीरेन्द्र नैथानी	Dhirendra Naithani
2	श्री सोहन लाल शर्मा	[illegible]
3.	श्री प्रेम सुगराम	[illegible]
4.	श्री महिपाल सिंह	[illegible]
5.	श्री शोभा राम	शोभाराम
6.	श्री सुन्दर लाल	सुन्दर लाल
7.	श्री गोवर्धन प्रसाद	गोवर्धन प्रसाद
8.	श्री राजेन्द्र प्रसाद	
9.	श्री हेम चन्द	
10.	श्री सम्पूर्णानन्द	सम्पूर्णानन्द
11.	श्री विपिन प्रसाद जुयाल	
12.	श्री संदीप कोठारी	
13.	श्री धीरज मोहन कोठारी	
14.	श्री मथुरा प्रसाद	
15.	श्री भवानी शंकर	
16.	श्री सोहन लाल	
17.	श्री गोवर्धन सुगरान	

बिजोरा देवी
श्रीमती बिजोरा देवी
क्षेत्र पंचायत सदस्य क्यार पाली
विकास खण्ड [illegible] पौडी गढ़वाल
उत्तराखण्ड

प्रधान ग्राम सभा सीला डांडा
ह० कल्पना देवी
दि० 23/11/2014
डारोखाल पट्टी लंगूर वल्ला

1.6 (V)

प्रफा-30.6

~~प्रपत्र — 23.3~~

परियोजना का नाम:- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत जनपद - पौड़ी गढ़वाल में अस्टखाल से थीला डाडा मोटर मार्ग कि.मी. 0.00 से कि.मी. 5.750 का निर्माण कार्य

जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण– पत्र

जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत वनभूमि पर प्रस्तावित अस्टखाल से थीला डाडा मोटर मार्ग परियोजना के निर्माण हेतु 2.275 हे0 वन भूमि ग्राम्य विकास विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी को प्रत्यावर्तित किये जाने हेतु उपजिलाधिकारी / अध्यक्ष, उत्तराखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति .... तथा सम्बन्धित ग्राम सभाओं द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये गये है। वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत व संलग्न प्रमाण पत्रों के अनुसार परियोजना के निर्माण में किसी अनुसूचित जनजाति व वनवासी की भूमि अधिग्रहित नही हो रही है। परियोजना के निर्माण से प्रभावित होने वाली वन भूमि में कोई भी दावा लम्बित नही है।

16.2.13

जिलाधिकारी

जिलाधिकारी
गढ़वाल(पौड़ी)

नोट– वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत वाछिंत समस्त सूचनायें प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा प्राप्त कर प्रस्ताव के साथ संलग्न की जानी है।